<u>न्यायालयः–प्रथम अपर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण बड़वाह (प.नि.)</u>
<u>(समक्षः सुश्री श्वेता गोयल)</u>

Registration No.MACC/04/2023
Filing No.MACC/155/2022
CNR No. MP1007-001804-2022
Filing Date. 10-09-2022

रामचंद्र पिता नत्थुसिंह मण्ड़लोई उम्र 52 वर्ष, व्यवसाय शासकीय नौकरी, निवासी–फारेस्ट कॉलोनी, बड़वाह, तहसील बड़वाह, जिला खरगोन (म.प्र.) ....आवेदक

<u>वि रू द्ध</u>

1. नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, मण्डल कार्यालय, खण्ड़वा (म.प्र.) (बीमा कंपनी)
2. दीपक पिता सुखदेव पाटीदार, उम्र वयस्क वर्ष, व्यवसाय वाहन मालिक, निवासी वार्ड नं. 04, गुलझरा धामनोद, तहसील धरमपुरी, जिला धार (म.प्र.) (वाहन स्वामी)
3. सुनिल पिता मुकेश ठाकुर आयु 32 वर्ष, व्यवसाय वाहन चालक, निवासी– इन्द्रा कॉलोनी, धाणी, धामनोद, तहसील धरमपुरी,

जिला धार (म.प्र.) (वाहन चालक) ....अनावेदकगण

आवेदकगण की ओर से श्री महेन्द्र अमई अधिवक्ता
अनावेदक क0–1 की ओर से श्री विवेक सिंह चौहान अधिवक्ता
अनावेदक क0–2 पूर्व से एकपक्षीय
अनावेदक क0–3 की और से श्री ललित बर्वे अधिवक्ता

–: : अधिनिर्णय : :–

(अधिनिर्णय दिनांक 10/08/2024 को घोषित)

1. आवेदक ने यह याचिका मोटरयान अधिनियम की धारा 166 के अंतर्गत मोटर दुर्घटना दिनांक 26.10.2020 को हुई दुर्घटना में कारित स्थायी निःशक्तता के परिणामस्वरूप अनावेदकगण से संयुक्ततः व पृथकतः–पृथकतः प्रतिकर राशि ₹ 32,00,000/– की अदायगी हेतु पेश की है।

2. प्रकरण में स्वीकृत तथ्य कुछ नहीं है।

3. आवेदन संक्षेप में यह है कि याचिकाकर्ता रामचंद्र दुर्घटना दिनांक 26.10.2020 को म.प्र. वन विभाग वन परिक्षेत्र बड़वाह में वनपाल के पद पर पदस्थ था। दिनांक 26.10.2020 को शाम लगभग 07:00–07:30 बजे आवेदक सुलगांव क्षेत्र से डयूटी कर मोटरसाइकल से फारेस्ट कॉलोनी स्थित घर आ रहा था। उसी समय सिद्धवरकूट–बड़वाह रोड़ पर चौड़ापाट पुल के आगे टर्न पर बड़वाह तरफ से आ रहे वाहन क्रमांक एमपी 09 सीए 3602 **(अत्र पश्चात् दुर्घटना–ग्रस्त वाहन संबोधित)** के वाहन चालक अनावेदक क्रमांक 03 ने दुर्घटनाग्रस्त

वाहन को तेज गति एवं लापरवाही से चलाकर आवेदक की मोटरसाइकल में सामने से टक्कर मार दी, जिससे आवेदक नीचे गिर गये और उसे गंभीर चोट आई। आवेदक का शासकीय अस्पताल बड़वाह में प्राथमिक उपचार हुआ और उसके पश्चात् सनावद स्थित जैन अस्पताल में दिनांक 26.10.2020 से दिनांक 03.11.2020 तक भर्ती रखकर उपचार किया गया। दुर्घटना में आवेदक के सीधे पैर में अस्थिभंग आया, जिससे उसे स्थायी निर्योग्यता कारित हुई और उसके उपचार में पांच लाख रूपये व्यय हुए, उसका उपचार वर्तमान में जारी है। घटना के समय आवेदक को ₹ 42,000/– वेतन प्राप्त होता था। उसे अपने दायित्व से अवकाश लेकर उपचार हेतु चिकित्सकगण के पास जाना होता था, जिसमें व्यय होता था। दुर्घटना में आई चोटों के कारण वह अपने दैनिक कार्य के लिये अपने परिवार के सदस्यों पर निर्भर है और वह शारीरिक रूप से कमजोर हो गया है और अपने दायित्वों को निर्वाह नहीं कर पा रहा है।

4. आवेदक का यह भी अभिवचन है कि दुर्घटना के संबंध में आरक्षी केन्द्र बड़वाह के अपराध क्रमांक 593/2020 पर प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत न्यायिक दण्डाधिकरी बड़वाह के न्यायालय में धारा 279, 338 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के तहत अभियोग पत्र पेश किया गया, जिसका क्रमांक आरसीटी क्रमांक 03/2022 है, जो कि विचाराधीन है। इस प्रकार आवेदक ने यह याचिका अनावेदकगण के विरूद्ध ₹ 32,00,000/– क्षतिपूर्ति राशि संयुक्ततः एवं पृथक–पृथक रूप से अदा किये जाने हेतु यह याचिका प्रस्तुत की है।

5. अनावेदक क्रमांक 01 बीमा कंपनी ने याचिकाकर्ता के अभिवचन को अस्वीकार

करते हुए अभिवचन किया है कि आवेदक ने अनावेदक क्रमांक 02 व 03 से मिलकर बीमा कंपनी से क्षतिपूर्ति राशि वसूली हेतु दावा प्रस्तुत किया है। दुर्घटना में दुर्घटनाग्रस्त वाहन सम्मिलित नहीं था और ना ही चालक की गलती व लापरवाही से दुर्घटना घटित हुई। दुर्घटना याचिकाकर्ता के द्वारा वाहन को तेज गति व लापरवाही से, बिना हेलमेट व अनुभव के चलाये जाने से घटित हुई है। अतः याचिका को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

6. अनावेदक क्रमांक 02 के विरूद्ध दिनांक 08.01.2024 को पूर्व पीठासीन अधिकारी श्री कौशलेन्द्रसिंह भदौरिया द्वारा सूचना पत्र तामीलशुदा प्राप्त होने पर एवं उपस्थित न होने पर उसके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही का आदेश दिया गया। अनावेदक क्रमांक 03 द्वारा प्रकरण में जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किया है और ना ही अपने पक्ष समर्थन में साक्ष्य पेश की है।

7. यह प्रकरण दिनांक 26.04.2024 को पूर्व पीठासीन अधिकारी श्री कौशलेन्द्रसिंह भदौरिया, तृतीय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, बड़वाह के न्यायालय में लंबित रहा। माननीय जिला न्यायाधीश महोदय, मण्ड्लेश्वर के आदेश क्रमांक 2016/सा.ले./मण्डलेश्वर दिनांक 29.04.2024 के पालन में श्री कौशलेन्द्रसिंह भदौरिया, तृतीय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, बड़वाह के न्यायालय से अंतरण पर प्राप्त हुआ।

8. उभयपक्ष के अभिवचनों एवं दस्तावेज के आधार पर निम्न वाद प्रश्न दिनांक 05.04.2024 को पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा विरचित किए गए, जिन पर निष्कर्ष, निष्कर्ष पर पहुॅचने के उपरांत अभिलिखित किए जाएॅगे।

कमांक	**वाद प्रश्न**	**निष्कर्ष**

1	क्या दिनांक 26.10.2020 को समय शाम 07:00–07:30 बजे या इसके लगभग चौड़ापाट पुल के आगे सिद्धवरकूट बड़वाह रोड, थाना बड़वाह, जिला खरगोन क्षेत्रातंर्गत अनावेदक क्रमांक 03 द्वारा अनावेदक क्रमांक 02 के स्वामित्व के वाहन क्रमांक एमपी 09 सीए 3602 को उपेक्षा या उतावलेपन पूर्वक चलाकर दुर्घटना कारित की ?	''**साबित**''
2	क्या उक्त दुर्घटना के परिणामस्वरूप रामचंद्र के शरीर पर गंभीर चोटें कारित होकर स्थायी निःशक्तता कारित हुई ?	''**घोर उपहति होना साबित, किंतु स्थायी निःशक्तता होना साबित नहीं**''
3	क्या अनावेदक क्रमांक 03 द्वारा दुर्घटना दिनांक को उक्त वाहन बिना वैध एवं प्रभावी चालन अनुज्ञप्ति के चलाया जा रहा था ?	''**साबित नहीं**''
4	क्या अनावेदक क्रमांक 03 द्वारा दुर्घटना दिनांक को उक्त वाहन बीमा पॉलिसी की शर्तों के उल्लंघन में चलाया जा रहा था ?	''**साबित नहीं**''
5	क्या आवेदक क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने का अधिकारी है, यदि हॉ तो किससे और कितना ?	''**अशंतः साबित, आवेदक क्षतिपूर्ति राशि अधिनिर्णयानुसार प्राप्त करने के अधिकारी हैं**''
6	सहायता एवं व्यय ?	''**अधिनिर्णय की कंडिका**

		क्रमांक 34 के अनुसार''

–: : निष्कर्ष के आधार : :–

–:: वाद प्रश्न क0 01 एवं 02 का निराकरण::–

9. आवेदक रामचंद्र (आ.सा.–01) ने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि दिनांक 26.10.202020 को शाम करीब 07:00 बजे के लगभग वह ग्राम सुलगांव क्षेत्र से अपनी डयूटी करके बड़वाह स्थित फारेस्ट कॉलोनी अपने घर मोटरसाइकल से आ रहा था और बड़वाह सिद्धवरकूट रोड़ पर चौड़ापाट पुल के आगे मोड़ पर पहुॅचा, उसी समय बड़वाह तरफ से सामने से आ रहे वाहन कार क्रमांक एमपी 09 सीए 3602 के चालक ने वाहन को तेज गति एवं लापरवाही से चलाकर उसकी मोटरसाइकल में टक्कर मार दी जिससे वह नीचे गिर गया और उसे शरीर पर गंभीर स्वरूप की चोटें आई, उसका प्रारंभिक उपचार शासकीय अस्पताल बड़वाह में हुआ और उचित उपचार हेतु जैन हास्पिटल सनावद में दिनांक 26.10.2020 से दिनांक 03.11.2020 तक भर्ती रखकर उसका उपचार किया गया और दुर्घटना से उसके सीधे पैर में फ्रेक्चर होने से उसके पैर की सर्जरी कर राड डाली गई।

10. आवेदक रामचंद्र ने अपने पक्ष समर्थन में उक्त दुर्घटना के संबंध में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी 02, नक्शे मौके की प्रमाणित प्रतिलिपि 03, संपत्ति जप्ती पत्रक प्रदर्श पी 04, अनावेदक क्रमांक 03/चालक सुनील को दिये गये धारा 41क का सूचना पत्र प्रदर्श पी 05 एवं अनावेदक क्रमांक 02/वाहन स्वामी दीपक को दिया गया धारा 133 मोटरयान अधिनियम

का नोटिस प्रदर्श पी 06, सिविल अस्पताल बड़वाह में आवेदक रामचंद्र के जख्मी अवस्था में उपस्थित होने की थाना प्रभारी को दी गई सूचना की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी 07, आवेदक रामचंद्र की प्री–एमएलसी की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी 08 एवं रामचंद्र के धारा 161 के कथन की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की है।

11. जख्मी शख्स की सूचना प्रदर्श पी 07 से दर्शित है कि उसमें घटनास्थल चौड़ापाट (बड़वाह) उल्लेखित है और अस्पताल में आवेदक/आहत रामचंद्र मण्डलोई के उपस्थित होने की दिनांक 26.10.2020 समय 07:00 पीएम उल्लेखित है। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 02 के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट आरक्षी केन्द्र बड़वाह के अपराध क्रमांक 593/2020 धारा 279, 337 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के तहत दर्ज की गई। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से दर्शित है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट जांच उपरांत दर्ज की गई है। प्रथम सूचना रिपोर्ट की अंतर्वस्तु में यह उल्लेखित है कि आहत रामचंद्र के जांच में कथन लिये गये, उनके द्वारा बताया गया कि एक अज्ञात डस्टर कार के चालक ने वाहन को तेज रफ्तार एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर उसकी मोटरसाइकल में टक्कर मार दी।

12. आवेदक रामचंद्र के संबंध में प्री–एमएलसी की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी 08 प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार दिनांक 26.10.2020 को 07:05 पी एम पर आवेदक का मेडिकल परीक्षण हुआ है और उसे अग्रिम उपचार के लिये आर्थोपेडिक विभाग में एम.व्हाय.एच. इंदौर के लिये रेफर किये जाने का उल्लेख है। इस प्रकार घटना के तुरंत पश्चात् आवेदक का मेडिकल परीक्षण हुआ है,

जिसके अनुसार उसे चोट आने का उल्लेख है। आवेदक ने जैन अस्पताल की डिस्चार्ज समरी प्रदर्श पी 09 प्रस्तुत की है, जिसके अनुसार उसे टीबिया/फेबुला में अस्थिभंग आने का उल्लेख है। उसके अनुसार आवेदक रामचंद्र दिनांक 26.10.2020 को जैन अस्पताल में उपचार के लिये दाखिल हुआ और दिनांक 03.11.2020 को डिस्चार्ज हुआ। प्रकरण में आवेदक द्वारा आपराधिक प्रकरण में कता किये गये अभियोग पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी 01 प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार धारा 279, 337, 338 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के तहत अभियोग पत्र कता किया गया है।

13. इस प्रकार यह दर्शित है कि आवेदक को दिनांक 26.10.2020 को हुई दुर्घटना में चोट आई और घोर उपहति कारित हुई।

14. आवेदक ने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दुर्घटना के कारण वह शारीरिक रूप से पूर्व की अपेक्षा कमजोर हो गया है। दुर्घटना के कारण नौकरी में उसका प्रमोशन रूक गया है। आवेदक ने अपनी पदोन्नति रूक जाने के संबंध में या पदावनत हो जाने के संबंध में कोई विभागीय अथवा शासकीय आदेश पेश नहीं किया है। आवेदक ने अपनी स्थायी निर्योग्यता के संबंध में डॉ. दिनेश ठाकुर, मेडिकल ऑफिसर, सिविल अस्पताल, बड़वाह का प्रमाण पत्र प्रदर्श पी 62 प्रस्तुत किया है, जिसमें आयोग्यता का प्रतिशत 35 प्रतिशत बताया है, किंतु डॉ. दिनेश ठाकुर को न्यायालय में परीक्षित नहीं कराया है। आवेदक रामचंद्र (आ.सा.–01) ने प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 10 में कथन किया कि उसे फिल्ड वर्क की अपेक्षा ऑफिस का काम देते है। उन्होंने दुर्घटना के पूर्व एवं दुर्घटना के पश्चात् कार्य की प्रकृति के संबंध में विभाग का आदेश

प्रस्तुत नहीं किया। उन्होंने प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 09 में यह स्वीकार किया है कि दुर्घटना के समय उसे वेतन प्राप्त होता था और वर्तमान में भी उसे वेतन प्राप्त होता है। उनके कथन से दर्शित नहीं है कि उसके वेतन में अर्थात् आय में कमी हुई। इस प्रकार आवेदक की स्थायी निर्योग्यता साबित नहीं होती है।

15. आवेदक रामचंद्र (आ.सा.–01) ने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि वाहन कार क्रमांक एमपी 09 सीए 3602 के चालक ने तेज गति व लापरवाही से वाहन को चलाकर उसकी मोटरसाइकल में टक्कर मार दी, जिससे उसे चोटें आई। साक्षी मोहरसिंह (आ.सा.–02) ने मुख्य परीक्षण में सारतः ऐसा ही कथन किया और उक्त वाहन नंबर की वैगनआर कार से दुर्घटना होना बताया। प्रतिरक्षा का तर्क है कि अभियोग पत्र में उन्हें चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में सम्मिलित नहीं किया गया है। जप्ती पत्रक प्रदर्श पी 04 के अनुसार प्रकरण में वेगनआर कार नीले रंग की क्रमांक एमपी 09 सीए 3602 को जप्त किया गया और अभियोग पत्र प्रदर्श पी 01 के अनुसार उक्त वाहन के चालक सुनील ठाकुर के विरूद्ध अभियोग पत्र क्रमांक 648/2021 पर कता किया गया। अनावेदक क्रमांक 01 बीमा कंपनी का तर्क है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट डस्टर कार चालक के विरूद्ध लेख करायी गई, जबकि प्रकरण में वेगनआर कार जप्त करायी गई है। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 02 में कार का उल्लेख है, कार की कंपनी और प्रकार के संबंध में भिन्नता होने से तात्विक प्रभाव नहीं पडता है। साक्षीगण द्वारा जो वाहन न्यायालय में बताया गया है, वहीं वाहन दुर्घटना कारित करने वाले वाहन के रूप में जप्त किया गया है और उसी वाहन चालक के विरूद्ध

अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त साक्षी मोहरसिंह को चक्षुदर्शी साक्षी अभियोग पत्र में न बनाये जाने का प्रश्न है तो इस संबंध में न्यायदृष्टांत **डॉ. अनुप कुमार भट्टाचार्य एवं एक अन्य बनाम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी 2022(1) एसीसीडी 187 (इला)** अवलोकनीय है, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा यह अभिनिश्चिय किया है कि– साक्षी, जिसने दुर्घटना को देखने का दावा किया है, का परिसाक्ष्य––इस आधार पर अविश्वास किये जाने के लिये दायी नहीं है कि वह अन्वेषण अधिकारी द्वारा दाखिल आरोप पत्र में साक्षी के रूप में दृष्टांत स्वरूप प्रस्तुत नहीं किया गया है– प्रत्येक व्यक्ति, जो दुर्घटना को प्रत्यक्ष देखता है––प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है, बावजूद इसके कि चाहे उसका नाम आरोप पत्र में साक्षियों की सूची में उल्लिखित हुआ था या नहीं––अतः मात्र इसलिये कि किसी व्यक्ति को आरोप पत्र में साक्षी के रूप में उल्लिखित नहीं किया गया है––स्वयमेव ही उसके परिसाक्ष्य को संदिग्ध तथा अविश्वास किये जाने के लिये दायी नहीं बना देता है।

16. अन्वेषण के दौरान वाहन क्रमांक एमपी 09 सीए 3602 के स्वामी दीपक को धारा 133 मोटरयान अधिनियम के तहत नोटिस प्रदर्श पी 06 दिया गया, जिसके अनुसार उन्होंने व्यक्त किया कि उक्त वाहन प्रश्नगत दिनांक को सुनील ठाकुर मांग कर ले गया था और वही चला रहा था और सुनील ठाकुर के विरूद्ध प्रदर्श पी 01 का अभियोग पत्र कता किया गया है। आवेदक द्वारा यद्यपि वाहन का रजिस्ट्रेशन एवं चालक की चालन अनुज्ञप्ति प्रस्तुत नहीं की गई है, किंतु वाहन के रजिस्ट्रेशन एवं बीमा पॉलिसी की प्रति पेश की गई है, जिसके अनुसार अनावेदक क्रमांक 02 दीपक वाहन क्रमांक एमपी 09 सीए

3602 का स्वामी होना दर्शित है। अनावेदक क्रमांक 01 बीमा कंपनी द्वारा बीमा पॉलिसी प्रस्तुत नहीं की है और उक्त दस्तावेजों के खण्डन में कोई दस्तावेज पेश नहीं किये हैं। जप्ती पत्रक प्रदर्श पी 04 के अनुसार चालक अनावेदक क्रमांक 03 सुनील का ड्रायविंग लाइसेंस जप्त किया गया है। अभियोग पत्र के अनुसार चालन अनुज्ञप्ति ना होने के बाबत् मोटरयान अधिनिमय के संबंध में कोई अभियोग पेश नहीं किया है और उक्त दस्तावेजों के खण्डन में अनावेदक क्रमांक 01 बीमा कंपनी द्वारा कोई दस्तावेज पेश नहीं किये हैं। इस प्रकार यह दर्शित है कि प्रश्नगत घटना दिनांक को वाहन क्रमांक एमपी 09 सीए 3602 का चालक अनावेदक क्रमांक 03 सुनील एवं वाहन स्वामी अनावेदक क्रमांक 02 दीपक थे।

17. दुर्घटनाग्रस्त वाहन के चालक अनावेदक क्रमांक 03 सुनील (अपरीक्षित) को प्रकरण में परीक्षित नहीं कराया गया है। इस संबंध में माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय का न्यायदृष्टांत **नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरूद्व अखिलेश द्विवेदी एवं अन्य 2007 (II) एमपीडब्ल्यूएन 21** अवलोकनीय है, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि, जहॉ दुर्घटनाग्रस्त वाहन के चालक का परीक्षण नहीं कराया गया है, वहॉ अधिकरण को यह अनुमान करना चाहिए कि दुर्घटनाग्रस्त वाहन को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाया गया था।

18. अतः उपरोक्त साक्ष्य मूल्यांकन एवं प्रस्तुत दस्तावेजो एवं न्यायदृष्टांत के आलोक में यह साबित होता है कि दुर्घटना दिनांक 26.10.2020 को शाम करीब 07:00 बजे के लगभग चौड़ापाट पुल के आगे सिद्धवरकूट–बडवाह रोड़

आरक्षी केन्द्र बड़वाह, जिला खरगोन के अंतर्गत अनावेदक क्रमांक 03 द्वारा अनावेदक क्रमांक 02 के स्वत्व स्वामित्व के वाहन क्रमांक एमपी 09 सीए 3602 को उपेक्षा या उतावलेपन पूर्वक चलाकर आहत रामचंद्र को टक्कर मारकर दुर्घटना कारित की, जिससे उसे ''घोर उपहति'' कारित हुई।

<u>वाद प्रश्न क0–03 का निराकरण :–</u>

19. आवेदक रामचंद्र द्वारा इस दुर्घटना के संबंध में पंजीबद्व आरक्षी केन्द्र बड़वाह जिला खरगोन के अपराध क्रमांक 593/2020 में चालक सुनील अनावेदक क्रमांक 03 से उसके ड्रायविंग लाइसेंस जप्त करने के संबंध में जप्ती पत्रक प्रदर्श पी 04 प्रस्तुत किया है, जिसमें चालन अनुज्ञप्ति का क्रमांक एमपी11 आर–2021–0170793 उल्लेख है। उक्त दस्तावेजों के खण्डन में अनावेदक क्रमांक 01 बीमा कंपनी द्वारा कोई भी दस्तावेज पेश नहीं किया गया है। प्रदर्श पी 01 के अभियोग पत्र के अनुसार लाइसेंस ना होने अथवा प्रभावी न होने के संबंध में मोटरयान अधिनियम के तहत अभियोग पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। इस प्रकार उक्त दस्तावेजों से दर्शित है कि अनावेदक क्रमांक 03 सुनील के पास घ टना दिनांक 26.10.2020 को वैध एवं प्रभावी लाइसेंस था।

20. इस प्रकार वाद प्रश्न क्रमांक 03 के संबंध में अधिकरण का निष्कर्ष है कि दुर्घटना दिनांक 26.10.2020 को अनावेदक क्रमांक 03 द्वारा दुर्घटनाग्रस्त वाहन एमपी 09 सीए 3602 को वैध एवं प्रभावी चालन अनुज्ञप्ति के चलाया जा रहा था।

<u>वाद प्रश्न क्रमांक–04 का निराकरण :–</u>

21. वाद प्रश्न क0–4 को साबित करने का भार बीमा कंपनी अनावेदक क0–1 पर

है। आवेदक रामचंद्र द्वारा इस दुर्घटना के संबंध में पंजीबद्व आरक्षी केन्द्र बड़वाह जिला खरगोन के अपराध कमांक 593/2020 में प्रश्नगत दुर्घटनाग्रस्त वाहन की बीमा पॉलिसी की प्रति जप्त करने के संबंध में जप्ती पत्रक प्रदर्श पी 04 प्रस्तुत किया है। बीमा कंपनी अनावेदक कमांक 01 द्वारा बीमा पॉलिसी प्रस्तुत नहीं की गई है। आवेदक द्वारा बीमा पॉलिसी की प्रति पेश की गई है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत जप्ती पत्रक प्रदर्श पी 04 में बीमा पॉलिसी के खण्ड़न में अनावेदक कमांक 01 बीमा कंपनी द्वारा कोई भी दस्तावेज पेश नहीं किया गया है।

22. बीमा पॉलिसी न होने के संबंध में प्रदर्श पी 01 के अनुसार अभियोग पत्र न्यायालय में पेश नहीं किया गया है। अनावेदक कमांक 01 द्वारा उक्त वाहन उनकी कंपनी में बीमित न होने के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है।

23. अतः विवाद्यक कमांक 04 के संबंध में अधिकरण का निष्कर्ष है कि अनावेदक क. 03 द्वारा दुर्घटना दिनांक 26.10.2020 को दुर्घटनाग्रस्त वाहन बीमा पॉलिसी की शर्तों के उल्लंघन में नहीं चलाया जा रहा था।

<u>वाद प्रश्न कमांक–05 का निराकरण :–</u>

24. आवेदक रामचंद्र (आ.सा.–01) द्वारा अपने उपचार के संबंध में जैन अस्पताल का अंतिम बिल प्रदर्श पी 14 प्रस्तुत किया, जिसकी कुल राशि ₹ 40,060/– है, जिसमें से ₹ 60/– का डिस्काट दिया गया है। जैन अस्पताल के निम्नानुसार बिल प्रस्तुत किये हैः–

कमांक	**बिल दिनांक**	**बिल की प्रकृति**	**राशि**	**प्रदर्श**
1	03.11.2020	अंतिम बिल	40,000	प्रदर्श पी 14

2	26.10.2020	ओपीडी परामर्श शुल्क	200	प्रदर्श पी 17
3	26.10.2020	एक्सरे शुल्क	500	प्रदर्श पी 18
4	13.12.2020	एक्सरे शुल्क	500	प्रदर्श पी 34
5	26.10.2020	प्लास्टर चार्ज	2000	प्रदर्श पी 42
6	21.11.2020	प्लास्टर चार्ज	1,100	प्रदर्श पी 33
7	07.11.2020	ड्रेसिंग चार्ज	200	प्रदर्श पी 43
8	15.11.2020	ड्रेसिंग चार्ज	200	प्रदर्श पी 32
9	28.11.2020	ड्रेसिंग चार्ज	100	प्रदर्श पी 37
10	13.12.2020	ड्रेसिंग चार्ज	200	प्रदर्श पी 38
11	19.12.2020	ड्रेसिंग चार्ज	200	प्रदर्श पी 35
12	24.12.2020	ड्रेसिंग चार्ज	200	प्रदर्श पी 39
13	31.12.2020	ड्रेसिंग चार्ज	200	प्रदर्श पी 40
14	08.01.2022	एक्सरे शुल्क	500	प्रदर्श पी 47
15	08.01.2022	ओपीडी परामर्श शुल्क	200	प्रदर्श पी 48
16	29.04.2022	एक्सरे शुल्क	500	प्रदर्श पी 45
17	29.04.2022	ओपीडी परामर्श शुल्क	200	प्रदर्श पी 46
18	29.04.2022	एक्सरे शुल्क	500	**प्रदर्श पी 50 एवं 45 डबल**
19	29.04.2023	परामर्श शुल्क	250	प्रदर्श पी 51
20	13.10.2023	एक्सरे शुल्क	500	प्रदर्श पी 55
21	02.05.2023	जैन हास्पिटल का बिल	30,000	प्रदर्श पी 15
22	05.05.2023	ड्रेसिंग चार्ज	200	प्रदर्श पी 52
23	13.05.2023	ड्रेसिंग चार्ज	200	प्रदर्श पी 53

25. आवेदक द्वारा मेडिसिन के संबंध में निम्न बिल पेश किये हैः–

कमांक	बिल दिनांक	बिल की प्रकृति	राशि	प्रदर्श
1	26.10.2020	पैथॉलाजी बिल	1,600	प्रदर्श पी 16
2	28.11.2020	पैथॉलाजी बिल	950	प्रदर्श पी 44
3	26.10.2020	मेडिसिन बिल	970	प्रदर्श पी 19
4	27.10.2020	मेडिसिन बिल	1,480	प्रदर्श पी 23
5	28.10.2020	मेडिसिन बिल	1,240	प्रदर्श पी 20
6	29.10.2020	मेडिसिन बिल	1,470	प्रदर्श पी 22
7	30.10.2020	मेडिसिन बिल	1,320	प्रदर्श पी 24
8	31.10.2020	मेडिसिन बिल	1,370	प्रदर्शा पी 21
9	01.11.2020	मेडिसिन बिल	570	प्रदर्श पी 25
10	02.11.2020	मेडिसिन बिल	310	प्रदर्श पी 26
11	03.11.2020	मेडिसिन बिल	1,235	प्रदर्श पी 28
12	07.11.2020	मेडिसिन बिल	1,570	प्रदर्श पी 30
13	15.11.2020	मेडिसिन बिल	370	प्रदर्श पी 29
14	21.11.2020	मेडिसिन बिल	760	प्रदर्श पी 27
15	28.11.2020	मेडिसिन बिल	140	प्रदर्श पी 31
16	05.12.2020	मेडिसिन बिल	150	प्रदर्श पी 36
17	13.12.2020	मेडिसिन बिल	755	प्रदर्श पी 41
18	02.05.2023	मेडिसिन बिल	1,490	प्रदर्श पी 49
19	05.05.2023	मेडिसिन बिल	550	प्रदर्श पी 51
20	13.05.2023	मेडिसिन बिल	500	प्रदर्श पी 56

26. आवेदक ने अपने इलाज के बिल के संबंध में वर्ष 2020, 2022 एवं 2023 के बिल उपरोक्तानुसार प्रस्तुत किये हैं। आवेदक ने इलाज के संबंध में वर्ष 2021 से दिनांक 08.01.2021 एवं 23 जनवरी 2021 का पर्चा प्रदर्श पी 65 एवं दिनांक 14.06.2021 का चिकित्सक का पर्चा प्रदर्श पी 64 प्रस्तुत किया है एवं दिनांक 08.01.2022 का चिकित्सक का पर्चा प्रदर्श पी 63 पेश किया है, किंतु वर्ष 2021 के अस्पताल के बिल या मेडिसिन के बिल प्रस्तुत नहीं किये है। आवेदक ने सीधे एक वर्ष के पश्चात् के वर्ष 2022 के प्रदर्श पी 45, 46, 47, 48, 50 के एक्सरे एवं ओपीडी शुल्क के बिल एवं उसके पश्चात् घटना से दो वर्ष पांच माह पश्चात् के और वर्ष 2022 के अंतिम बिल के एक वर्ष पश्चात् के दिनांक 29.04.2023 से दिनांक 13.10.2023 तक के प्रदर्श पी 15, 51, 52, 53, 55 के बिल प्रस्तुत किये हैं और मेडिसिन के संबंध में वर्ष 2021 और 2022 के कोई बिल पेश नहीं किये है। इस प्रकार घटना दिनांक से वर्ष 2022 के बिल अस्पताल, ओपीडी एवं एक्सरे के बिल में एक वर्ष एक माह और वर्ष 2023 के बिल में दो वर्ष पांच माह का अंतराल है और वर्ष 2021 के कोई बिल पेश नहीं है। इस प्रकार यह साबित नहीं होता कि दुर्घटना के पश्चात् निरंतरता में इलाज हुआ। इस प्रकार वर्ष 2023 के कोई बिल पेश न होने के कारण और बीच के अंतराल की अत्यधिक अवधि को देखते हुए यह साबित नहीं होता कि वर्ष 2022 व 2023 के जो बिल पेश किये है, वह दुर्घटना से संबंधित है और आवेदक का निरंतरता में इलाज हुआ। आवेदक द्वारा वर्ष 2023 का जैन अस्पताल का बिल ₹ 30,000/– का प्रदर्श पी 15, परामर्श शुल्क प्रदर्श पी 51 राशि ₹ 250/–, एक्सरे शुल्क प्रदर्श पी 55 राशि ₹ 500/– एवं ड्रेसिंग चार्ज

के बिल प्रदर्श पी 52 एवं 53 राशि ₹ 200–200 ⁄ – के पेश किये हैं, किंतु वर्ष 2023 का चिकित्सक का कोई इलाज पर्चा प्रस्तुत नहीं किया। प्रदर्श पी 15 के बिल के अनुसार दिनांक 29.04.2023 को आवेदक भर्ती हुआ और दिनांक 02.05.2023 को डिस्चार्ज हुआ। आवेदक के प्रदर्श पी 15 के जैन अस्पताल के बिल के संबंध में कोई चिकित्सक का इलाज पर्चा पेश नहीं है और उस बिल में उनका एक्सरे चेस्ट का होने का उल्लेख है, जबकि आहत को दुर्घटना से पैर में अस्थिभंग हुआ था। वर्ष 2020 के मेडिसिन बिल के पश्चात् सीधे वर्ष 2023 के मेडिसिन का बिल पेश किया गया है। आवेदक रामचंद्र ने न्यायालय में स्पष्ट नहीं किया कि वर्ष 2023 में उसका ऑपरेशन पुनः क्यों हुआ और वह दुर्घटना में आई चोट से ही संबंधित था। इस संबंध में उनके द्वारा किसी चिकित्सक के कथन नहीं कराये है।

27. आवेदक द्वारा दिनांक 29.04.2022 के एक ही राशि ₹ 500 ⁄ – के एक ही बिल नंबर ओपीडीएपीआर 22–1594 के प्रदर्श पी 45 व 50 दो बिल प्रस्तुत कर दिये, जबकि वह एक ही बिल है। अतः उपरोक्तानुसार आवेदक को 2022 एवं 2023 के बिल का भुगतान किया जाना उचित दर्शित नहीं होता है।

28. इस प्रकार वर्ष 2020 के अस्पताल के बिल की राशि ₹ 45,600 ⁄ – एवं वर्ष 2020 की मेडिसिन की राशि ₹ 16,260 ⁄ – होती है। इस प्रकार कुल राशि 61,860 ⁄ – रूपये होती है।

29. आवेदक रामचंद्र (आ.सा.–01) ने न्यायालय में कथन किया कि वह दिनांक 26.10.2020 से दिनांक 03.11.2020 तक अस्पताल में भर्ती रहा। आवेदक द्वारा इस संबंध में न्यायालय को जानकारी दी गई जिसके अनुसार उसका दिनांक

27.10.2020 से 12.12.2020 तक कार्यालय वनमंडलाधिकारी, सामान्य वनमंडल, बड़वाह के आदेश क्रमांक स्था./2021/11 बड़वाह दिनांक 11.01.2021 के द्वारा मेडिकल के आधार पर लघुकृत अवकाश 45 दिवस का स्वीकृत हुआ है। आवेदक ने अपनी याचिका में अपनी मासिक आय ₹ 45,000/– प्रतिमाह के संबंध में कथन किया है। आवेदक ने न्यायालय में मुख्य परीक्षण में कथन किया कि उन्हें ₹ 42,000/– प्रतिमाह वेतन प्राप्त होता था। आवेदक ने इस संबंध में दिसंबर 2020 की अपनी वेतन स्लिप पेश की है, जिसके अनुसार उनका कुल वेतन ₹ 23,576/– है। आवेदक के कथन एवं उनके द्वारा पेश किये गये बिल प्रदर्श पी 14 के अनुसार वह दिनांक 26.10.2020 से दिनांक 03.11.2020 तक कुल 09 दिन भर्ती रहे। अनावेदक क्रमांक 01 बीमा कंपनी का तर्क है कि उन्हें अवकाश अवधि का वेतन दिया गया है, अतः उन्हें आय की हानि नहीं हुई है। इस संबंध में न्यायदृष्टांत **एम.पी.डी.बी. हिफाजत अली विरूद्ध अजीजजुर रहमान 2004(4) एम.पी.एल.जे. एन.ओ.सी. 2 एवं यशपाल गौड़ विरूद्ध मीना सुरी 1995 ए.सी.जे. 480 एवं अनुपसिंह विरूद्ध इंदरसिंह 1987 ए.सी.जे. 84 (एमपी)** अवलोकनीय है, जिसमें माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि यचिकाकर्ता/आहत दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण क्षतिग्रस्त नहीं होता तो वह उसके द्वारा लिये गये अवकाश को अन्य उपयोगी काम में उपयोग कर सकता था। अतः आहत अवकाश की हानि का प्रतिकर पाने का पात्र है। आवेदक के द्वारा प्रस्तुत कि गई जानकारी के अनुसार उसके द्वारा 47 दिन का लघुकृत अवकाश लिया गया है। आवेदक की वेतन स्लिप के अनुसार कुल आय

23,576/– रूपये है। अतः 47 दिन के मान से कुल आय की हानि 36,936/– रूपये होती है।

30. इस प्रकार आवेदक अनावेदकगण से निम्न तालिका अनुसार प्रतिकर राशि प्राप्त करने का अधिकारी है –

स.क.	प्रतिकर शीर्षक	प्रतिकर गणना आधारित राशि
1	इलाज में वास्तविक खर्च (बिल अनुसार)	**₹ 61,860/–**
2	विशेष पोष्टिक आहार व्यय/अण्टेंडर व्यय एवं आवागमन व्यय	**₹ 9,000/–**
3	व्यवसाय की वास्तविक हानि (47 दिन के मान से)	**₹ 36,936/–**
4	गैरवित्तीय हानि शारीरिक पीड़ा एवं मानसिक वैदना के लिये	**₹ 25,000/–**
	कुल योग	₹ **1,32,796/– चकीय कम में ₹ 1,32,800/–**

31. माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय के न्यायदृष्टांत **विमलाबाई एवं अन्य विरूद्ध शरीफ खान एवं अन्य 2009 (4) एमपीएलजे 453** में यह अभिनिर्धारित किया है कि उल्लंघन करने वाले मोटरयान की ओर से लापरवाही के मामले में क्षतिपूर्ति का संदाय करने हेतु बीमाकर्ता के साथ–साथ यान के चालक/स्वामी पर भी संयुक्ततः एवं पृथकतः दायित्व डालना चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **सविथा विरूद्ध एम/एस. चौलामण्डलम एम.एस. जनरल**

इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 2020 (II) (माननीय तीन न्यायमूर्तिगण) एमपीडब्ल्यूएन 43 : एआईआर 2020 एससी 3224 में छः प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज प्रदान किया गया है। माननीय म.प्र.उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ग्वालियर ने **प्रभूलाल रजक विरूद्व विजय कुमार शर्मा 2019 (3) टी.ए.सी. 651 (एम.पी.)** में छः प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज प्रदान किया है।

32. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरूद्व केशव बहादुर एवं अन्य एआईआर 2004 एससी 1581** मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 171 (निरसित की सुसंगत धारा 110 सीसी) और व्यवहार प्रकिया संहिता, 1908 की धारा 34 को निर्दिष्ट करते हुए यह प्रतिपादित किया गया है कि क्षतिपूर्ति के भुगतान में व्यतिक्रम के लिये ब्याज दर में भूतलक्षीय प्रभाव से उच्चतर ब्याज दर अधिरोपित नहीं किया जा सकता।

33. इस प्रकार वाद प्रश्न क्रमांक 05 के संबंध में अधिकरण का निर्णय है कि आवेदक ₹ 1,32,800/– (₹ एक लाख बत्तीस हजार आठ सौ) क्षतिपूर्ति राशि एवं उक्त राशि पर 06 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज याचिका प्रस्तुती दिनांक 10.09.2022 से अनावेदक क्रमांक 01, 02 व 03 से संयुक्ततः एवं पृथक–पृथक प्राप्त करने का अधिकारी है।

<u>वाद प्रश्न क0–06 सहायता एवं वाद व्यय :–</u>

34. फलतः आवेदक द्वारा धारा 166 मोटरयान अधिनियिम 1988 के अंतर्गत क्षतिपूर्ति हेतु याचिका अंशतः स्वीकार कर निम्न अनुसार अवार्ड पारित किया

जाता हैः–

(01) आवेदक कुल क्षतिपूर्ति राशि ₹ 1,32,800/– (₹ एक लाख बत्तीस हजार आठ सौ) एक माह के भीतर संयुक्तः व पृथकतः अनावेदक क्रमांक 01, 02 व 03 से प्राप्त करने के हकदार हैं, जिसका संदाय अनावेदक क्रमांक 01 द्वारा किया जायेगा।

(02) इसके अतिरिक्त उक्त क्षतिपूर्ति राशि पर आवेदक/याचिका प्रस्तुत करने के दिनांक 10.09.2020 से संपूर्ण क्षतिपूर्ति राशि संदाय करने तक 06 प्रतिशत (छः प्रतिशत) वार्षिक दर से साधारण ब्याज भी प्राप्त करने का हकदार हैं।

(03) अंतरिम क्षतिपूर्ति राशि, यदि कोई हो, उक्त अंतिम क्षतिपूर्ति राशि में समायोजित की जावे।

(04) आवेदक ने अपना इलाज व्यक्तिगत खर्चे से किया है। अतः याचिकाकर्ता की आयु एवं इलाज में हुए खर्च को देखते हुए आवेदक प्रतिकर राशि नगद प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः प्रतिकर राशि याचिकाकर्ता को बैंक खाते के माध्यम से नगद भुगतान की जावे।

(05) अनावेदक क्र0 1, 2 व 3 अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे एवं अनावेदक क्र0–1, 2 व 3 आवेदक का भी व्यय वहन करेंगे।

(06) अधिवक्ता शुल्क ₹ 1,500 (₹ एक हजार पॉच सौ) अथवा सूची अनुसार जो भी प्रमाणित पाया जाये, उनमें से जो न्यून हो, व्यय तालिका में जोड़ा जाये।

तद्नुसार उक्त क्लेम प्रकरण में व्यय तालिका बनायी जाए।

दिनांक : 10/08/2024

स्थान : बड़वाह, जिला मण्ड़लेश्वर

अधिनिर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित एवं मुद्रांकित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया।

(सुश्री श्वेता गोयल)
सदस्य
प्रथम मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण
बड़वाह, जिला मण्ड़लेश्वर (प.नि.)

(सुश्री श्वेता गोयल)
सदस्य
प्रथम मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण
बड़वाह, जिला मण्ड़लेश्वर (प.नि.)

SWETA GOYAL
Digitally signed by SWETA GOYAL
Date: 2024.08.10 14:31:30 +0530